<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/1586/2001/भीलवाडा</u>

1 भवंर पुत्र छीतर
2 मांगू पुत्र हजारी
3 कजोड पुत्र हजारी सभी जाति गाडरी निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1 मु0 प्यारी बेवा कस्तूरा
2 किशन पिता कस्तूरा
3 हरकू पुत्री कस्तूरा
4 मुं0 रूकमण पुत्री कस्तूरा सभी जाति भील निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थीगण

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः 22.1.2019</u>**

1. यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/99 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनिमय की धारा 88, 89, 188 व 92(क) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के दादा व वादी संख्या 2 व 3 के पिता हजारी पिता सोलाजी गाडरी को ग्राम बावडी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मिसल नम्बर 731 नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 25.6.65 में नियमन करने की मंजूरी हुई। वादपत्र में उक्त आराजी के पडौस देते हुए वादीगण ने कथन किया कि उक्त आराजी को काफी श्रम व धन खर्च कर

काबिल काश्त बनाया है व हजारी के जीवनकाल से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी में अन्य रकबा मिलाकर इसके नवीन खसरा नम्बर 643 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कायम कर दिया एवं बिलानाम दर्ज कर दिया। सन् 1990 में उक्त आराजी में से 2 बीघा भूमि का आवंटन प्रतिवादी संख्या 1 कस्तूरा भील को किया गया जिसके नवीन खसरा नम्बर 1589/1427 कायम कर दिये। कस्तूरा का विवादित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं रहा है। कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। अतः वादी स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 3 तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 11.10.99 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे असन्तुष्ट होकर वादी अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2000 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस अन्तिम के दौरान प्रत्यर्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित नहीं थे। इसलिए अधिवक्ता वादीगण/अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई थी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का नियमन अपीलार्थीगण के पूर्वज हजारी के नाम होना राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में इसका अंकन है एवं नामान्तरकरण स्वीकृत होना अंकित है। बाद के राजस्व अभिलेख में से हजारी का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से विलोपित किया गया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा हजारी के समय से ही चला आ रहा है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1589/1427 का आवंटन प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी कस्तूरा को किया गया जो नुमाईशी है। कस्तूरा एवं प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का निरन्तर चला आ रहा है जो साक्ष्यों से साबित कराया गया है। वादी अपीलार्थीगण ने सभी तनकियात को साबित कराया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में खसरा नम्बर 624 रकबा 2 बीघा 6

बिस्वा मिसल नम्बर 731 नामान्तरकरण संख्या 92 से निमयन दर्ज करने के नोट के साथ हजारी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। परन्तु विवादित भूमि पर हजारी अथवा वादीगण अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त होने का कोई पुख्ता सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया है कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण में यह अंकित नहीं है कि नियमन के समय साबिक आराजी नम्बर 624 का कुल कितना रकबा था जबकि नियमन 2 बीघा 6 बिस्वा का होना बताया गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि साबिक मौके का नक्शा पत्रावली में उपलबध है जिसमें आराजी नम्बर 624/1 से 624/3 अंकित है किन्तु अपीलार्थीगण वादीगण कहां पर काबिज है, यह बात स्पष्ट नहीं होती है अर्थात वादीगण/ अपीलार्थीगण किस बटा नम्बर पर काबिज हैं, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मिलान क्षेत्रफल का खसरा अवश्य पेश किया गया है किन्तु उसमें भी साबिक आराजी नम्बर 624 का रकबा अंकित नहीं है। वादीगण अपीलार्थीगण ने मिलान खसरा भी पेश नहीं किया है। इस प्रकार विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षो से सहमति प्रकट की है। दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं, जिनमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में कालम संख्या 4 नाम काश्तकार के कालम में हजारी पि0 सोला गाडरी अंकित है तथा कफियत में मि.नं. 731 नामान्तरकरण संख्या 92 से नियमन दर्ज करने की मंजूरी है, नोट अंकित है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 में खसरा नम्बर 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/8 नम्बर अंकित हैं। परन्तु इनका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है। सारतः एवं निष्कर्षतः वादी ने साबिक खसरा नम्बर 624/1 से 624/8 का नक्शा पटवारी हस्ताक्षरित ट्रेस पेपर पर (प्रदर्श–2) पेश किया है जिस पर पैमाना अंकित नहीं है। हाल नम्बर का नक्शा (प्रदर्श 5) पैमाना अंकन युक्त प्रस्तुत किया है। जिससे सुपर इम्पोज कर स्थिति प्रकट की जाना सम्भव नहीं है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2074 (प्रदर्श–1) में खसरा नम्बर 624 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में काश्तकार के नाम में वादी के पूर्वाधिकारी (वाद कथनानुसार दादा/पिता) का नाम अंकित है। प्रस्तुत खसरा में खसरा नम्बर 643 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा गत खसरा नम्बर 535/1मी. तथा 624मिन से बनना अंकित है किन्तु इसमें किस नम्बर का कितना रकबा समाहित है, अंकित नहीं है। इसमें खाना विशेष विवरण में छीतर पोता हजारी गाडरी सा.देह अंकित है। हाल नम्बर की जमाबन्दी वादी ने पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि हाल नम्बर किसके नाम दर्ज रेकार्ड है। साथ ही वादी ने खसरा नम्बर 624 के बटा नम्बर अर्थात अंश का नक्शा

पेश किया है, शेष मूल का बटा रहित नक्शा अंकन प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जमाबन्दी का खसरा नम्बर 624 का अंकन सम्पूर्ण मूल का है अथवा शेष मूल का। खसरा नम्बर 535/1 मिन व खसरा नम्बर 624मिन अंकित है। मौजा किश्तवार के खसरे की यह आंशिक नकल है। ऐसी स्थिति में नक्शे, गत जमाबन्दी एवं खसरे से वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद डिक्री करने के पर्याप्त आधार प्रकट नहीं होते हैं। साथ ही घोषणा वर्तमान नम्बर से होनी है और वर्तमान नम्बर की जमाबन्दी पेश नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। वादीगण/अपीलार्थीगण को अपना वाद स्वंय साबित करना था तथा वे प्रतिवादीगण की कमजोरियों का या उनकी अनुपस्थिति का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं माने जा सकते है। वादीगण/ अपीलार्थीगण ने वाद में तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय में राजस्थान राज्य को जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा को पक्षकार बनाया था जिसने जबाबदावा भी पेश किया था। किन्तु द्वितीय अपील में बिना समुचित कथन के उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में सारतः व निष्कर्षतः हस्तक्षेप करने के पर्याप्त आधार नहीं होने से एवं विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं होने से यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य